with him. It is non-invasive. It could also be culture friendly. As for Manjari, I can only say that I will try to provide the stats.

श्रीमती सुषमा स्वराज: माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है— "FM operators had cited high licence fee as one of the reasons for not operationalising their operations." तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि जो आपने 90 शहरों में और एफ॰एम॰ के विस्तार की नई नीति बनाई है चरण-दो की, फेज-टू की, क्या उसमें आपने लाइसेंस फी को ही आधार रखा है या रेवेन्यू शेयरिंग को आधार कर दिया है?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, during the first phase, the entrepreneurs did not know better nor did the Government know any better. That experience represents a learning curve both for the Government and the entrepreneurs. In the second phase, having learnt from the experience, we have gone in for revenue sharing formula.

Sushmaji, as former Minister of Information and Broadcasting, should know this and this, we think, is going to encourage the revolutionary growth of radio in this country.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister as to what is the rationale for discriminating against FM radio channels in the matter of news broadcasts. When every month a new TV news channel is being started, private operators are starting TV news channels, don't you think by excluding news and current affairs from the sphere of private radio, you are discriminating against radio and in the sense helping the TV operators, while the radio operators are going to suffer on account of this policy?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I am not discriminating in favour of TV operators. Chandanji is a leading media expert. He knows that those companies, which are running TV channels and newspapers, are also getting into radio. Therefore, there is a need to look at the monopoly trend in the news sector. It was this concern that has withheld us from allowing the private radio to have news channels at the moment.

*206. [The questioners Shri Motilal Vora and Shri Janardan Dwivedi were absent. For answer *vide* page 40 *infra*.]

Irregularities in Mid-Day Meal Scheme

*207. DR. NARAYAN SINGH MANAKLAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several irregularities such as pilferage, manipulation of the record of delivery and utilisation of ration and funds etc., have been brought out by media recently in the current state of Mid-Day Meal Scheme in Government run primary schools;

(b) if so, the details of the irregularities detected and the remedial measures taken/proposed to be taken in this regard;

(c) whether it is also a fact that in most of the schools, the teachers, instead of teaching, are cooking the mid-day meal; and

(d) if so, the remedial steps taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (d) Instances of recent media reports regarding financial irregularities in Mid-Day Meal Scheme have so far come to notice in respect of three States and one UT. Details of financial irregularities so reported and action taken on them are given in the table below:—

Sl. No.	States/UT	Nature of Irregularities reported in the Media	Action taken
1.	Bihar	(i) A case of black marketing of foodgrains in Patna District.	District Magistrates concerned have been instructed to inquire and
		(ii) Stock of foodgrains found in teacher's house in West Champaran District.	take appropriate action.
2.	Orissa	A teacher was caught selling rice meant for Mid-Day Meal Scheme in Jagatsinghpur District.	District Inspector of Schools has been instructed to take disciplinary action against the teacher.
3.	Uttar Pradesh	Manipulation of attendance figure in Meerut District.	State Govt. has reported that after inquiry, allegations were not found to be correct.
4.	NCT of Delhi	Irregularities in awarding contracts to NGOs for supply of mid-day meals in Municipal Corporation of Delhi.	Response from Govt. of NCT of Delhi is awaited.

Central guidelines for the Mid-Day Meal Scheme expressly prohibit assigning of any responsibility connected with cooking, to teachers. 16 States and 4 UTs [Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Delhi, Chandigarh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep] have so far confirmed that teachers are not involved in cooking mid-day meal. Information from remaining 12 States and 3 UTs is being collected.

श्री नंदी येल्लैया: माननीय सभापति महोदय, दोपहर के भोजन के सिलसिले में आपको मालूम होगा कि दोपहर के भोजन के खाने का जो सिस्टैम है आज भी हमारी सोसाइटी में, समाज के अंदर छुआछूत व भेदभाव हो रहा है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आजादी के 65 साल बाद भी आने वाली जेनरेशन में इस तरह से ऐसी मैंटलिटी और भेदभाव है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार इसके बारे में दूसरे राज्यों से इसका ब्यौरा मंगाएं कि क्या दोपहर के खाने में भेदभाव तो नहीं हो रहा है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, कुछ राज्यों से मीडिया के जरिए और ऐसे भी खबर मिली थी, जैसे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आन्ध्र और गुजरात से, तो ऐसी जगहों पर कोशिश करके अगर कोई शिकायत आई भी थी तो वहां पर समाज के लोगों को बैठा करके तथा बाहर से पदाधिकारी भेज करके, वहां एक साथ खाना बनाकर सब को एक साथ खिलाने का इंतजाम किया गया है। अब इधर कोई शिकायत हम लोगों के पास नहीं आई है। अगर माननीय सांसद के पास कोई ऐसी रिपोर्ट कहीं से हो तो हम लोगों को दें ताकि हम कार्रवाई कर सकें।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, this is a very good programme. We have problems at the lower level with regard to kitchen sheds near the school. Secondly, Sir, conversion charges are very low. There are instances of misuse of rice and other items for the sake of conversion, since the money allocated is very meagre. Part 'b' of my question is, since we have so many hostels with schools and Mid-Day Meal Scheme, why don't you think of converting all the Government schools into residential schools? Is there any proposal with the Government of India in this regard?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: कोई भी रेजिडैंशल स्कूल में कंवर्ट करने का कार्यक्रम अभी नहीं है और जहां तक सवाल पैदा होता है कि पैसा कम है, यह हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया है कि 100 ग्राम प्रति बच्चा, प्रतिदिन बच्चों को मिले, चाहे वह गेहूं की शक्ल में हो, चाहे चावल की शक्ल में हो और फिर उसके ऊपर से एक रुपया कुकिंग कॉस्ट व ट्रांसपोर्टेशन का, इसका सारा व्यय गवर्नमेंट आफ इंडिया वहन करती है।

डा॰ नारायण सिंह मानकलाव: माननीय सभापति जी, मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहता हूं कि दोपहर के भोजन की योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसमें अनियमितताओं का जो सिलसिला है, उसके बारे में केवल सूचना के माध्यम से चार स्टेट्स का इनको पता चला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का ही हम निदान करेंगे या हमने सेपरेट या अलग से इसके लिए कोई एजेंसी डेवलप की है या करने का इरादा है, जिससे इसमें होने वाली अनियमितताओं को समय-समय पर तय किया जा सके? अगर नहीं की गई है, तो क्या करने का इरादा है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, यह जो मिड-डे मील प्रोग्राम है, इसको राज्य सरकार चलाती है। इस बारे में हमने हर स्टेट से रिपोर्ट मंगाई है और अभी तक जो रिपोर्ट आई है, उसमें इन चार राज्यों के बारे में जानकारी हासिल हुई है, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है। जब भी कोई शिकायत आती है, हम उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को खबर करते हैं और उस पर एक्शन करवाने की कार्रवाई करवाते है।

डा॰ नारायण सिंह मानकलाव: श्रीमान, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 16 स्टेट्स में मिड-डे मील बनाने का काम शिक्षकों से अलग कर लिया गया है, हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। जो शिक्षक है, वह एक कुक का काम करता है और उसके चलते उस पर कई आरोप भी लगते हैं और वह अपना काम भी नहीं कर पा रहा है। अगर आपने ऐसा कर लिया है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है, शिक्षक की जगह कौन बनाता है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, शिक्षक को कहीं भी खाना बनाने में इन्वॉल्व नहीं किया गया, बल्कि आपको पता होगा कि एक रुपया हम लोग कुकिंग कॉस्ट के लिए देते हैं और अगर खाना बनवाने में और जरूरत पड़ती हो, तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह इसमें कुछ योगदान दे, जिससे कि खाना बनाने में किसी भी टीचर का इन्वॉल्वमेंट न हो और बच्चों को साफ-सुथरा खाना बनकर मिले।

एक माननीय सदस्य: कौन पकाते हैं?

डा॰ नारायण सिंह मानकलाव: वे अपने स्कूल के अंदर इंतजाम करते हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई: मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह मिड-डे मील की स्कीम जिसका मकसद यह है कि इन बच्चों को, जिनको अच्छा खाना न्यूट्रीशन फूड मयस्सर नहीं होता है, उनको सरकार की तरफ से मिड-डे मील प्रोवाइड किया जाए, जो अच्छे ढंग से पका हुआ साफ-सुथरा हो। बहुत से मिडिया के जरिए भी मैंने यह सवाल उठाया था तथा छत्तीसगढ़ में बच्चों को जो मिड-डे मील दिया गया उसमें मरा हुआ सांप निकला तथा एक टीचर

ने खाने में शराब मिला दी। ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं तथा बहुत सी ऐसी शिकायतें हर स्टेट से आती रहती हैं। मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूं कि आज बच्चों के लिए खाना पकाया जाता है, असल में चीज वह है कि किस ढंग से पकाया जाता है। मेरा मंत्री जी को सुझाव यह है कि जिन मां-बाप के बच्चे वहां पढ़ते हैं अगर उनकी माताओं को या उनके रिश्तेदारों को खाने की देखरेख और पकाने में इंवोल्व करें तो ज्यादा अच्छे ढंग से साफ-सुथरा खाना मिल सकता है, क्योंकि माताएं अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाएंगी। अगर मिड-डे मील सही ढंग से बच्चों को नहीं दिया जा सकता तो मिड-डे मील की स्कीम का कोई मतलब नहीं है। अगर खाना सही ढंग से नहीं पकता, हाइजेनिक नहीं होता, तो मैं समझती हूं कि सरकार का कोई मतलब नहीं है यह स्कीम चलाने का।

محترمہ محسنہ قدوائی: مانیور میں مانیے منتری جی سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ مِڈ ڈے میل کی اسکیم جس کا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو جن کو اچھا کھانا نیوٹریشن فوڈ میسر نہیں ہوتا ہے ان کو سرکار کی طرف سے مِڈ ڈے میل پرووائڈ کیا جائے جو اچھے ڈھنگ سے پکا ہوا صاف ستھرا ہو۔ بہت سے میڈیا کے ذریعہ بھی میں نے یہ سوال اٹھایا تھا چھتیس گڑھ میں بچوں کو جو مِڈ ڈے میل دیا گیا اس میں مرا ہوا سانپ نکلا تھا ایک ٹیچر نے کھانے میں شراب ملادی۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آچکی ہیں بہت سی ایشی شکایتیں ہر اسٹیٹ سے آتی رہتی ہیں۔ میں مانیے منتری جی کو ایک سجھاؤ دینا چاہتی ہوں کہ آج بچوں کے لئے کھانا پکایا جاتا ہے، اصل چیز وہ ہے کہ کس ڈھنگ سے پکایا جاتا ہے۔ میرا منتری جی کو سجھاؤ یہ ہے کہ جن ماں باپ کے بچے وہاں پڑھتے ہیں اگر ان کی ماؤں کو یا ان کے رشتہ داروں کو کھانے کی دیکھ ریکھ اور پکانے میں انوالڈ کریں تو زیادہ اچھے ڈھنگ سے صاف ستھرا کھانا مل سکتا ہے، کیونکہ مائیں اپنے بچوں کے لئے اچھا کھانا بنائیں گی۔ اگر مِڈ ڈے میل صحیح ڈھنگ سے بچوں کو نہیں دیا جا سکتا تو مِڈ ڈے میل کی اسکیم کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر کھانا صحیح ڈھنگ سے نہیں پکتا، ہائی جینک نہیں ہوتا تو میں سمجھتی ہوں کہ سرکار کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ اسکیم چلانے کا۔

श्री सभापति: मैडम, हो गया आपका, यह सुझाव है। कृपया इनके सुझाव पर ध्यान रखिए।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, दोपहर के भोजन की योजना में अनियमितताओं के बारे में बताते वक्त मंत्री महोदय ने कहा कि 100 ग्राम अनाज बच्चों को दिया जाता है, तो यह अनाज के रूप में खाना ग्राम के हिसाब से दिया जाता है या कैलोरी के हिसाब से

†Transliteration in Urdu Script.

दिया जाता है? मेरे सवाल का दूसरा पार्ट है कि इन्होंने सिर्फ चार राज्यों का उल्लेख किया है, जहां कि रिपोर्ट बताई है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, जिस केस में इस मिड-डे मील पर उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जिसमें एक ऑब्जर्वर, एक फॉर्मर आई॰ए॰एस॰ आफिसर, जो अभी एन॰ए॰सी॰-नेशनल एडवाइजरी कौंसिल के सदस्य भी हैं और उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट दी हैं हर एक राज्यों की।

क्या मंत्री महोदय, उन रिपोर्टों से अवगत हैं? अगर अवगत हैं, तो कृपया करके सदन को बताने की कृपा करें।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, कहीं से भी कोई भी शिकायत मिड डे मील की हमारे पास आती है, तो हम उसकी इन्क्वायरी करवाते हैं। आपने जिस रिपोर्ट के बारे में कहा है, अगर हमारे पास आ जायेगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आ जायेगी से क्या मतलब है? ...(**व्यवधान**)... आप रिपोर्ट मंगवा लीजिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, मैं रिपोर्ट मंगवा लूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, वह 100 ग्राम केलोरीज है या वजन है?...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, वजन है। ...(**व्यवधान**).. हंड्रेड ग्राम। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: क्या आप हंड्रेड ग्राम बच्चों को पत्थर खिलायेंगे? ...(**व्यवधान**)... फूड का केलकुलेशन केलोरीज़ पर होता है। ..(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप उनको बोलने तो दीजिए। ..(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: हंड्रेड ग्राम थ्री हंड्रेड केलोरीज पर चाइल्ड। ..(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: हां, ठीक है। यह कहिये। ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री महोदय, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में जांच करवाई है, तो जांच की रिपोर्ट को मंगवाकर देख लीजिए और उस पर आवश्यक कार्यवाही करिये।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, ठीक है।